



2026:AHC:163688

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27085 / 2026

केशव @ केसर

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुमित जायसवाल

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुमित जायसवाल और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. श्री अजय सिंह को सुना।
 2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 457/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 238, 61(2), 3(5), 115(2) और 140(1) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - शिकरपुर, जिला - बुलन्दशहर, अवर न्यायालय में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
 3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अज्ञात शव की बरामदगी के पश्चात अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी।
 4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जब विवेचना के दौरान यह पता चला कि शव शिवम का है, तो उसके भाई ने 28.12.2025 को एक आवेदन दिया और उसमें कहा कि उसका भाई अर्थात् मृतक सह-अभियुक्त विक्की के प्रतिष्ठान में काम करता था और उसका उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए सह-अभियुक्त विक्की ने अपने साथियों, जिनमें आवेदक भी शामिल
- अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था, के साथ मिलकर उसकी हत्या की। इस प्रकार, मृतक के भाई द्वारा 28.12.2025 को दिए गए आवेदन के माध्यम से आवेदक का नाम इस मामले में उजागर हुआ है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संदेह, निराधार और मौखिक आरोपों के अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त विक्की, जो प्रथम दृष्टया मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है, को भी इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 21207/2026 में पारित एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश दिनांक 1.7.2026 के साथ जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उससे बेहतर स्थिति में है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 10.2.2026 से अर्थात् पिछले लगभग छः माह से जेल/कारागार में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।

10. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह दर्शाता है कि संदेह और सह-अभियुक्त के बयान तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के संस्वीकृति के अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई अन्य ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त विक्की, जो मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है, को इस न्यायालय द्वारा एक बहुत ही तर्कसंगत और विस्तृत आदेश के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उससे बेहतर स्थिति में है।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में पिछले लगभग छः माह से जेल/कारागार में है।

13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - केशव @ केसर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 5, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।